

Ch. Charan Singh University

Meerut-250004

बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम

शैक्षिक सत्र 2019-21 में सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेश के लिए पात्रता

बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत् है-

4. विज्ञान/वाणिज्य/सामाजिक-विज्ञान/मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंको के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। बी०ई० एवं बी०टेक० में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) अंको के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी अर्ह हैं।
5. अनुरूचित जाति एवं अनुरूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी०ई० एवं बी०टेक० में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी अर्ह हैं।
6. विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार प्रदान की जाएगी।

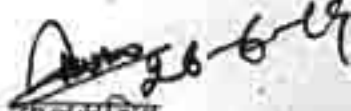
IMPORTANT DATES:

विश्वविद्यालय वेबसाइट पर पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	27 जून, 2019
पंजीकरण की अन्तिम तिथि	11 जुलाई, 2019
विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट घोषित करने की तिथि	12 जुलाई, 2019
प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अल्पसंख्यक सीटों के सापेक्ष जारी की गई मेरिट में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा सम्बन्धित संस्थानों में प्रवेश लेने एवं शुल्क जमा करने की तिथि	13 जुलाई से 15 जुलाई, 2019
कालिज द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची तथा सोफ्ट कॉपी डि०वि० में जमा करने की तिथि	16 एवं 17 जुलाई, 2019

IMPORTANT NOTE:

1. किसी अल्पसंख्यक महाविद्यालय/संस्थान में अल्पसंख्यक कोटे में केवल वही पंजीकृत विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय के पोर्टल पर सम्बन्धित महाविद्यालय हेतु अपनी कोई वरगीता दी थी।
2. इसके अतिरिक्त किसी अन्य विद्यार्थी, जिसने किसी अल्पसंख्यक महाविद्यालय/संस्थान के अल्पसंख्यक कोटे हेतु विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपनी वरगीता नहीं दी थी, को कोई भी महाविद्यालय/संस्थान उपरोक्त अल्पसंख्यक कोटे की सीटों पर प्रवेश नहीं देगा।
3. किसी महाविद्यालय/संस्थान में विद्यार्थी द्वारा प्रवेश कन्फर्म कराने के पश्चात किसी भी दशा में स्थानान्तरण नहीं होगा।

विशेष:- यदि कोई संस्थान उपरोक्त तिथियों के अनुक्रम में सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराता है, तो विश्वविद्यालय घोषित तिथि के उपरान्त विद्यार्थियों की कोई सूची नहीं लेगा, न ही उनकी परीक्षा करायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होगी।


कुलसचिव